>

Title: Need to provide adequate compensation to the farmers whose land has been acquired by Satluj Jal Vidyut Nigam, Chausa in Buxar Parliamentary Constituency of Bihar.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, खेती की जमीन किसानों की जीविकोपार्जन का साधन है। किसानों को इस बात से एतराज नहीं है कि उनकी जमीन ली जाये, लेकिन उन्हें इस बात पर एतराज है कि उनको उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया जाये और बदले में उनका कोई पुनर्वास न किया जाये। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में बिहार सरकार के सहयोग से एक थर्मल पावर सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लगाने की योजना है। वहां 2 हजार एकड़ से ऊपर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। चौस–सासाराम एवं चौसा– मेहनिया रोड के ठीक बीचों-बीच गंगा के किनारे यह बहुत कीमती जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है। उसे औने-पौने भाव पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण किसानों में भारी असंतोष है। वे थर्मल पावर लगाने के विरोधी नहीं हैं। उनकी इच्छा है कि उन्हें उनकी जमीन की उचित कीमत मिले, उनको नौकरी मिले और विस्थापन का दंश उन्हें न झेलना पड़े। बिहार में ऐसी जमीन के लिए 25 से 30 लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत दी जा रही है। यह उससे भी कीमती जमीन है, लेकिन वहां के किसानों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसानों की इच्छा है कि यह थर्मल पावर लगे और उस इलाके का उद्योग, व्यापार बढ़े। उनको घरों में रोशनी हो, उनकी खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिले। लेकिन साथ ही वे चाहते हैं कि यदि जीविकोपार्जन का साधन उनके हाथों से छीना जाये, तो उनके जीने का कोई दूसरा साधन वैकल्पिक रूप में उनको मिले।

मैं केन्द्र सरकार से इसी बात की मांग करता हूं कि सतलुज जल विद्युत निगम को निर्देशित किया जाये कि वहां के किसानों की जमीन का जब अधिग्रहण हो, तो पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उन्हें थर्मल पावर में नौकरी तथा जमीन की उचित कीमत देने की व्यवस्था की जाये। वहां के किसान संघर्ष को आतुर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष बड़ा स्वरूप ले, उससे पहले उन्हें चौसा की जमीन की उचित कीमत मिले, ताकि उन्हें वहां से विस्थापन का दंश न झेलना पड़े। मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूं कि कीमत के साथ वहां के लोगों को उस उद्योग में नौकरी भी दी जाए ।